यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/81/2017 **दिनांक :** 20.09.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

वित्त मंत्री को ज्ञापन

जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि संसद मोर्चा कार्यक्रम के उपरांत यूएफबीयू के प्रतिनिधिमण्डल ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया था। एआईबीईए तथा एआईबीओए ने अपने संयुक्त परिपत्र दिनांक 18.09.2017 के माध्यम से प्रस्तुत किये गये ज्ञापनों की प्रतिलिपि जारी की है। हम अपने सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान के लिए उक्त परिपत्र का अनूदित सार नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं तथा वित्त मंत्री को प्रस्तुत किये गये ज्ञापनों का हिन्दी अनुवाद भी साथ में संलग्न किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

वित्त मंत्री को ज्ञापन

इकाईओं को ज्ञात ही है कि संसद पर मोर्चा कार्यक्रम के दौरान, यूएफबीयू के प्रतिनिधिमण्डल ने वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली से मुलाकात की और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चार ज्ञापन प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार हैं :

1. **बैंकिंग क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दों पर** अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए, बैंकों का विलय और समेकन, कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के बड़े बट्टे खाते डालना, बैंक ऋणों की जानबूझकर चूक को दण्डनीय अपराध घोषित करें, अनार्जक आस्तियों की वसूली पर संसदीय समिति की अनुशंसाओं को लागू करें, खराब ऋणों के लिए शीर्ष प्रबन्धन/अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें और खराब ऋणों की वसूल करने के लिए कठोर उपाय किये जायें, प्रस्तावित एफआरडीआई बिल को वापस लें, बैंकों को कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों का भार सेवा शुल्कों में वृद्धि द्वारा बैंक ग्राहकों पर डालने की अनुमति न दी जाये, सरकार द्वारा बैंकों को विमुद्रीकरण तथा अन्य सरकारी योजनाओं के मूल्यभार की प्रतिपूर्ति की जाये।

2. शुद्ध लाभ के बजाय परिचालन लाभ के आधार पर **कर्मचारी कल्याण योजनाओं के आवंटन पर** ।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डल पर **कर्मचारी/अधिकारी निदेशकों की तुरन्त नियुक्ति पर** जो कि पिछले दो वर्ष से लंबित हैं।

4. वर्तमान में जारी वेतन पुनरीक्षण प्रक्रिया में **स्केल VII तक के सभी अधिकारियों को शामिल करने की आईबीए को सलाह देने पर।**

जारी पृष्ठ 2

ज्ञापनों की प्रतिलिपि आपके रिकार्ड के लिए और हमारे सदस्यों के मध्य प्रसार के लिए यहां संलग्न हैं।

अभिवादन सहित,

आपके साथी,

ह0..	ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्	**एस. नागराजन**
महामंत्री	**महामंत्री**
एआईबीईए	**एआईबीओए**

15.09.2017 को वित्त मंत्री को यूएफबीयू का ज्ञापन

बैंकिंग क्षेत्र पर

महोदय, आपके व्यस्त कार्यक्रम के मध्य आपसे मिलने और आप को निम्नलिखित ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए यह बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।

हम **यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू)** से हैं जो हमारे देश में विभिन्न बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की सभी बैंक यूनियनों से मिलकर बना है।

हम सरकार और आवश्यक सकारात्मक उपायों द्वारा उपयुक्त विचार के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों और सुझावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है

इस समय हमारे देश में 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और 52 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जो सार्वजनिक क्षेत्र में भी हैं के साथ, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हमारे देश में बैंकिंग व्यवसाय के लगभग 80% का गठन करते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आर्थिक वृद्धि और विकास के मुख्य इंजन हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में, हमें विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि विकास के लिए संसाधनों को खोजने में बाधाओं के बारे में क्या होता है, बैंकों ने लोगों की बचतों को जुटाने और उन्हें विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निजी बैंकों की सीमित और लाभार्जन की भूमिका है और इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग हमारे देश के भविष्य के विकास और प्रगति के लिए अनिवार्य हैं। जबकि आर्थिक प्रगति सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह देशभक्ति की भूमिका निभाने में सक्षम करने के लिए और अधिक सुदृढ़ करना होगा। इसलिए बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि बैंकों की लगभग 80% जमाराशि गरीब और आम जनता की घरेलू बचत होती है और विकासात्मक भूमिका के उपयोग के लिए इस अनमोल सामाजिक पूंजी को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस बचत को दुरूपयोग से सुरक्षित रखने और लोगों के पैसे की गारंटी की जरूरत है। जमाकर्ताओं के धन का दुरूपयोग करने के परिणामस्वरूप बैंकों की बन्दी के ऐसे कई निजी बैंकों के कड़वे अनुभवों को देखते हुए, हमें दुगुनी सावधानी बरतने और लोगों के धन की सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता है जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान में सबसे ज्यादा संभव है। इसलिए हमारे बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए।

यहां तक कि विकास के पथ के अन्तर्गत, क्षेत्रों जैसे कि कृषि, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, बुनियादी ढांचा आदि की आवश्यकता, प्राथमिक महत्व की है और इन क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर ऋण उपलब्ध होना है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा,

जारी पृष्ठ 3

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक उपायों जिसमें क्रॉस सब्सिडीजाईजेशन आवश्यक है को सस्ती दरों पर ऋण दिये जाने की आवश्यकता है जो सामाजिक उन्मुखीकरण के साथ केवल सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में ही सम्भव है निजी बैंकों के विपरीत जो केवल मुनाफा उन्मुख होते हैं। इसलिए बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए।

लेकिन यह देखा गया है कि बैंकों के निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व नियंत्रण को कम करने की दिशा में कई उपाय चल रहे हैं।

एक तरफ सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पर्याप्त पूंजी से इंकार कर रही है ताकि अधिक निजी पूंजी बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा सके। दूसरी ओर, सभी प्रकार के निजी उद्यमों को बैंकिंग व्यवसाय करने और मलाईदार बैंकिंग व्यवसाय की अनुमति देने के लिए बैंकिंग बहुत ज्यादा उदार है। सरकार द्वारा पर्याप्त पूंजी प्रावधान के अभाव में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या तो अपंग हो जायेंगे या अस्तित्व के लिए निजीकरण के लिए मजबूर हो जायेंगे।

इसलिए सरकार को वर्तमान उपायों को छोड़ देना चाहिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कम कर देंगे और जिसका परिणाम बैंकों का निजीकरण होगा। देश को आर्थिक विकास की आवश्यकता है जिसके लिए हमें जीवंत और प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग संस्थानों की आवश्यकता है।

बैंकों के विलय तथा समेकन की योजनाओं पर पुर्नविचार किया जाये

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हमारे देश में विस्तार किया है इसलिए बैंकिंग अब कुल मिलाकर अधिक से अधिक स्थानों और गांवों में आम जनता के लिए उपलब्ध है। लेकिन अभी भी बड़ी गुंजाइश है और सभी लोगों और स्थानों तक पहुंचने के लिए और विस्तार करने की आवश्यकता है। बैंकिंग को अधिक समावेशी होना चाहिए और बैंकिंग सेवाओं को हर किसी के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। यह जन धन योजना जैसी योजनाओं के कारणों में से एक है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग बैंकिंग तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। यहां तक कि वैश्विक तुलना द्वारा, भारत में बैंकिंग घनत्व सबसे कम इंगित करता है कि भारत में बैंकिंग को और विस्तारित करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार अब बैंकों के विलय और समेकन के बारे में बात कर रही है। सभी रिपोर्टों के अनुसार, विलय के परिणामस्वरूप शाखायें बंद हो जायेंगी और बैंकिंग पहुंच में कमी आयेगी। विलय रोजगार की संभावना को कम कर देगा जबकि हमारे देश को अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता है। इसके अलावा, यदि बैंकों को विलय द्वारा बड़ा किया जाता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि बड़े बैंक मजबूत बैंक होंगे। कई देशों में बड़े बैंकों की बड़े जोखिम लेने की प्रवृत्ति है और वे बड़ी मुसीबतों में चले गये हैं। भारत में, हमारे बैंक लोगों के पैसे के साथ कार्य करते हैं और हम लोगों के पैसे के साथ ऐसे जोखिम नहीं ले सकते हैं। हमें विस्तार की आवश्यकता है और समेकन की नहीं। कोई सबूत नहीं है कि बड़े बैंक अधिक कुशल होते हैं बल्कि वे जोखिम भरे हैं। इसलिए सरकार को हमारे बैंकों के विलय की वर्तमान योजनाओं को छोड़ देना चाहिए।

कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों (एनपीए) को बड़े बट्टे खाते डालना

आज बैंकों द्वारा सामना की जा रही एकमात्र प्रमुख समस्या खराब ऋणों में चिन्ताजनक वृद्धि है। यह लगभग रू0 15 लाख करोड़ है जिसमें बैंकों द्वारा पुर्नगठित ऋण शामिल हैं। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि इन अनार्जक आस्तियों की बड़ा हिस्सा बड़े उधारकर्ताओं और कॉर्पोरेट घरानों से है। पहले उन्हें खराब और संदिग्ध कर्ज कहा जाता था, फिर खराब ऋण कहा जाता था, हाल तक अनार्जक आस्तियां और तनावग्रस्त आस्तियां किन्तु हाल में नॉन–कोऑपरेटिव उधारकर्ताओं से देय के रूप में नामकरण हुआ है। जबकि कुछ ऋण खराब हो रहे हैं उम्मीद की जा सकती है और बैंकिंग व्यवसाय में स्वीकार किए जा सकते हैं, आज बैंकों से ऋण लेना और इसे एनपीए बना देना एक उत्तम कला बन गई है। कई बड़े एनपीए की जानबूझकर चूक की जाती है और इसलिए आरबीआई के नियमों के तहत जानबूझकर चूककर्ता हैं। दिये गये ऋणों को वसूल करने के लिए बैंकों द्वारा बहुत कम प्रयास किये गये हैं। एनपीए में कमी के लिए क्या किया जा रहा है, एनपीए पुर्नगठन, एनपीए प्रबंधन, एनपीए प्रस्ताव, एनपीए प्रावधान, एनपीए बट्टे खाते डालना लेकिन एनपीए वसूली के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि इन खराब ऋणों पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होती।

जारी पृष्ठ 4

इस प्रकार, औसतन, बैंक लगभग रू0 1,50,000 करोड़ की वार्षिक ब्याज आय/राजस्व से वंचित होते हैं। इस हद तक बैंकों के मुनाफे में गिरावट और अवनति होती है। आग में तेल डालते हुए, अन्य क्रियाशील ऋणों से अर्जित आय से, बड़ी राशि बट्टे खाते डाली जाती है और खराब ऋण प्रदान किये जाते हैं।

रू0 करोड़ में

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सकल परिचालन लाभ	127653	137760	136275	158982
खराब ऋणों के लिए प्रावधान, आदि	90633	100901	153967	170370
प्रावधानों के बाद शुद्ध लाभ/हानि	**37019**	**37540**	**- 18417**	**- 11388**

अर्जित लाभों से किए गये ऐसे प्रावधानों से, ऋण अंततः बट्टे खाते डाले जाते हैं।

	बट्टे खाते डाले गये खराब ऋण
2012-13	27,231 करोड़
2013-14	34,409 करोड़
2014-15	49,018 करोड़
2015-16	57,586 करोड़
2016-17	81,683 करोड़
5 वर्षों में	**249,927 करोड़**

यदि इन बट्टे खातों के खातावार विवरण सामने आ जायें, यह उजागर हो जायेगा कि यह बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के पक्ष में है। उन सभी की चुकाने की क्षमता है, और इसलिए यह बैंकों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बड़ी आर्थिक क्षति है। इसलिए हम माँग करते हैं कि कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों को वसूल किया जाना चाहिए और बट्टे खाते नहीं डालना जाना चाहिए।

बैंक ऋणों की जानबूझकर चूक को दण्डनीय अपराध घोषित किया जाये

आरबीआई ने उधारकर्ताओं को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में परिभाषित किया है यदि उनके द्वारा लिए गये ऋणों को दुरूपयोग, डायवर्ट करने, गबन, आदि किया जाता है। बहुत से ऋण हैं जो इस परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। वे जानबूझकर चूककर्ता हैं और इसलिए हम माँग करते हैं कि इन जाबूझकर चूककर्ताओं के नाम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होने चाहिए और ऐसी जानबूझकर चूक को फौजदारी अपराध घोषित किया जाये और उनके खिलाफ उचित आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए। इन चूककर्ताओं के नामों को प्रकाशन के लिए उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

अनार्जक आस्तियों की वसूली पर संसदीय समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाये

वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने कई अवसरों पर बैंकों में बढ़ते हुए खराब ऋणों के मुद्दे पर चर्चा की और पिछले वर्ष उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें दोषी उधारकर्ताओं पर कार्यवाही करने और खराब ऋणों को वसूल करने के तरीकों और साधनों का सुझाव दिया गया था। अब तक इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए यह हमारी मांग है कि संसदीय समिति की अनुशंसायें स्वीकृत की जायें और खराब ऋणों की बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए लागू की जायें।

उच्च प्रबन्धन/अधिकारियों की जवाबदेही खराब ऋणों के मामले में तय करना सुनिश्चित किया जाये तथा इन ऋणों की वसूली के कठोर उपाय किये जायें

बैंकिंग लोगों के पैसे को संभाल रही है। इसलिए उचित जवाबदेही मानदंड होने चाहिए जब हम लोगों के पैसे से व्यवहार करते हैं। जबकि निचले स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जवाबदेही पर नियम और विनियम हैं, जब शीर्ष प्रबंधन की बात आती है, तो जवाबदेही के सख्त नियमों को प्रदान करने के लिए ढील प्रतीत होती है। विशेष रूप से, जब शीर्ष अधिकारियों को बड़े ऋणों की मंजूरी के लिए बड़े अधिकार दिये जाते हैं और ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए भी, ऐसे प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं।

जारी पृष्ठ 5

प्रस्तावित एफआरडीआई बिल को वापस लिया जाये

मौजूदा नियमों और प्रावधानों के तहत पहले से ही कई नियम और कानून हैं। इस बिल का उद्देश्य स्पष्ट रूप से नए प्राधिकारी को व्यापक शक्तियों के साथ सशक्त बनाना है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों और बीमा कम्पनियों को विघटित और मिटाया जा सके और इसलिए यह जाहिर तौर पर कठोर है। इसलिए हम इस बिल को वापस लेने की माँग करते हैं।

बैंकों को कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों का भार सेवा शुल्कों में वृद्धि द्वारा बैंक ग्राहकों पर डालने की अनुमति न दी जाये

हमने पहले ही कहा है कि बैंकों की आय और आय की बड़ी राशि बड़े उधारकर्ताओं के खराब ऋणों के विरूद्ध बट्टे खाते डाली जाती है। नतीजतन, बैंकों के लाभ और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ बैंक हानि दिखाने के लिए मजबूर हैं हालांकि बहुत अच्छा परिचालन लाभ अर्जित कर रहे हैं। खराब ऋणों को वसूल करने और इन नुकसानों को रोकने के बजाय, बैंक सभी प्रकार की सामान्य बैंकिंग सेवाओं के लिए आम ग्राहकों के लिए शुल्क बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि दण्डात्मक शुल्क भी लागू किये जा रहे हैं। अब, छोटे ग्राहकों की बचत जमाओं पर ब्याज दर कम कर दी गई है जबकि कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए खराब ऋणों के करोड़ों रूपयों के बट्टे खाते बिना कमी के जाते हैं। हम माँग करते हैं कि साधारण बैंक ग्राहकों पर खराब ऋणों के भार को डालना अनुचित है और इसलिए रोका जाना चाहिए।

सरकार द्वारा बैंकों को विमुद्रीकरण तथा अन्य सरकारी योजनाओं की लागत की प्रतिपूर्ति

काला धन, नकली नोट आदि से निपटने के लिए नवम्बर 2016 में सरकार द्वारा विमुद्रीकरण योजना की घोषणा की गई थी। बैंकों को इसके कार्यान्वयन के लिए योजना को संभालने के लिए कहा गया था। पूरे देश ने देखा कि शानदार तरीके से बैंकों और बैंकिंग कर्मचारियों ने ऐसी कठिन परिस्थितियों को संभाला। इस प्रक्रिया में बैंकों ने खर्चों के रूप में पर्याप्त राशि उठाई और इससे उनके मुनाफे पर और असर पड़ा। जब कि बैंक पहले से ही लाभ में कमी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार को विमुद्रीकरण योजना आदि लागू करने की लागत की बैंकों को प्रतिपूर्ति करनी चाहिए।

विषय : बैंकों में कर्मचारी और अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति में अनुचित देरी

आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक की नियुक्ति प्रदान करता है। यह योजना 1972 से प्रचलन में है और इन सभी वर्षों में, कर्मचारी और अधिकारी निदेशकों को योजना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया है। यह योजना निदेशक मण्डल प्रबन्धन स्तर पर कर्मचारियों को भागीदारी प्रदान करने के लिए अधिनियम में शामिल की गई थी।

हालांकि, हम यह देखते हुए चिंतित हैं कि पिछले तीन वर्षों से, कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक की कोई नियुक्तियां सरकार द्वारा जारी नहीं की गई हैं। अब तक, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, इन दोनों पदों को रिक्त रखा गया है और भरा नहीं गया है। इन पदों को नहीं भरा जाना प्रतिनिधित्व को रोकना तथा कामगार भागीदारी के अधिकार से वंचित किया जाना है।

जैसा कि इस योजना में प्रदान किया गया है, पैनल के नामों को बैंकों को उचित रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है और बदले में, बैंकों ने भी अपनी उचित अनुशंसाओं के साथ सरकार को इसे अग्रेषित कर दिया है। लेकिन, दस्तावेजों कई महीनों तक सरकारी स्तर पर लंबित रखा जा रहा है। इसने यूनियनों और कर्मचारियों के दिमाग में गंभीर आशंकायें पैदा की हैं कि सरकार जानबूझकर इन निदेशकों को नियुक्त करना टाल रही है।

हम आपसे इस मामले को दृढ़निश्चय और गंभीरता के साथ देखने और बिना किसी देरी के सभी बैंकों में कर्मचारी निदेशकों और अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध करते हैं।

जारी पृष्ठ 6

विषय : बैंकों में कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए कोष का आवंटन

आपको ज्ञात है कि बैंकों के कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनायें लागू करने के लिए अपने दिशानिर्देश दिये हैं। यह योजना इन कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए बैंकों के प्रकाशित शुद्व लाभ के 3% का आवंटन प्रदान करती है।

पिछले दो वर्षों से, आरबीआई के दिशानिर्देशों के कारण, अधिकतम राशि बैंकों में अनिष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान की ओर प्रदान की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों के शुद्ध लाभ में भारी कमी आई है और कई बैंक घाटे में आ गये हैं। निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के शुद्ध लाभ में आई भारी कमी को स्पष्ट करेगी।

रू0 करोड़ में

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सकल परिचालन लाभ	**127,653**	**137,760**	**136,275**	**158,982**
खराब ऋणों के लिए प्रावधान, आदि	90,633	100,901	153,967	170,370
प्रावधानों के बाद शुद्ध लाभ/हानि	**37,019**	**37,540**	**- 18,417**	**- 11,388**

इसलिए, हम इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन तथा सरकार से शुद्ध लाभ के बजाय बैंकों के परिचालन लाभ में से कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए कोष के आवंटन की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं।

चूंकि कई बैंकों में शुद्ध लाभ नकारात्मक हैं, इन बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए किसी भी आवंटन से वंचित किया जा रहा है। आप भी स्वीकार करेंगे कि कर्मचारियों का किये गये प्रावधानों और इसके फलस्वरूप बैंकों के शुद्ध लाभ पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए, सभी निष्पक्षता में, यह उचित होगा कि कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन बैंकों के परिचालन लाभ से किया जाये।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस न्यायोचित प्रतिवेदन पर अनुकूल रूप से विचार करें और बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश जारी करने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करें।

विषय : वेतन पुनरीक्षण वार्ता

हम नवम्बर, 2017, जब कि अगला वेतन पुनरीक्षण देय होगा, से पहले समझौते में तेजी लाने और सम्पन्न करने के दृष्टिकोण से बैंकों में वेतन पुनरीक्षण वार्ता आरंभ करने के लिए इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को सलाह देने के लिए आपके आभारी हैं।

तद्नुसार, इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन ने वेतन पुनरीक्षण और सेवाशर्तों में सुधार के लिए हमारे द्वारा प्रस्तुत माँग पत्र पर यूनियनों के साथ विचार–विमर्श शुरू कर दिया है।

आपको भली–भांति ज्ञात है कि अधिकारियों के मामले में, 1979 से, सरकार के दखल से, अधिकारी सेवा विनियमन जो कि वेतनमानों और अन्य अधिकारियों से सम्बन्धित पात्रताओं जिनमें स्केल-I अधिकारियों से स्केल-VII अधिकारी सम्मिलित हैं, समाहित करता है। हालांकि, वर्तमान वार्ता में, इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन ने हमें सूचित किया है कि इस बार, अधिकारियों की वार्ता केवल स्केल-I से स्केल-III तक सीमित रहेगी। इस प्रकार, स्केल-IV से स्केल-VII तक के अधिकारियों को वार्ता और वेतन पुनरीक्षण से बाहर रखने के प्रयास किये जा रहे हैं।

हम इस मामले में आपके हस्तक्षेप और आगामी वेतन पुनरीक्षण में स्केल-I से स्केल-VII तक के सभी अधिकारियों को शामिल करने के लिए इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को सलाह देने का अनुरोध करते हैं।